



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072020-220793
CG-DL-E-31072020-220793

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942

No. 2262]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SRAVANA 9, 1942

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2556(अ).— दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-11(क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद-द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिन की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में अथवा ई-मेल द्वारा mpd2021.public@dda.org.in पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई.डी भी दें, जो पठनीय हो।

संशोधन:

दि.मु.यो.-2021 में प्रावधान	
अध्याय 4.0 : आश्रय का पैरा 4.2.3.4	
विद्यमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/आशोधन
iii) योजना, भूमि के आवासीय घटक (जिसमें सुविधाएं अर्थात् परियोजना/स्कीम के अंतर्गत बसी हुई जनसंख्या पर आधारित अध्याय 3 की तालिका 3.3 में यथा निर्दिष्ट स्तर के लिए सुविधा शामिल हैं) पर संपूर्ण अधिकतम 400 एफ.ए.आर. सहित संयुक्त रूप से तैयार की जाए और एफएआर भूमि के लाभकारी घटक पर लागू होगा जैसा कि संगत भूमि उपयोग के लिए लागू है।	iii) योजना भूमि के आवासीय घटक (जिसमें सुविधाएं अर्थात् परियोजना/स्कीम के अंतर्गत बसी हुई जनसंख्या पर आधारित अध्याय 3 की तालिका 3.3 में यथा निर्दिष्ट स्तर के लिए सुविधा शामिल हैं) पर संपूर्ण अधिकतम 400 एफ.ए.आर. सहित संयुक्त रूप से तैयार की जाए। भूमि के लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफ.ए.आर. भूमि उपयोग पर ध्यान दिए बिना लागू होगा। लाभकारी घटक में संपूर्ण 300 एफ.ए.आर. के अंदर विकासकर्ता संस्था द्वारा यथा प्रस्तावित किसी उपयोग/मिश्रित उपयोग को दि.मु.यो. प्रावधान के अनुसार अनुमति दी जाएगी। यदि विकासकर्ता संस्था मिश्रित उपयोग का प्रस्ताव करती है, तो विशेष उपयोग के लिए उपयोग किए गए एफएआर पर पार्किंग और अन्य विकास नियंत्रण मानदंड यथा अनुपात आधार पर लागू होंगे।

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx> पर भी उपलब्ध है।

[फा. सं. एफ .3(36)1996/एम.पी./ पार्ट -I]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(MASTER PLAN SECTION)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O.2556(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan for Delhi-2021, under Section-11(A) of Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/suggestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023, or via e-mail to: mpd2021.public@dda.org.in within a period of **Forty Five (45) days** from the date of issue of this Notice. The person making the objections or suggestions should also give his/her name, address and telephone/contact number(s)/ E-mail ID which should be readable.

Modification:

Provision in MPD - 2021	
Para 4.2.3.4 of Chapter 4.0 Shelter	
Existing Provisions	Proposed Amendments / Modifications
iii) The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land [(including facilities i.e. Facility for the level as indicated in Table 3.3 of Chapter 3 based on the population accommodated under the Project/scheme)] and FAR on the remunerative component of land shall be as applicable for the relevant land use.	iii) The scheme should be designed in a composite manner with an overall maximum FAR of 400 on the residential component of the land (including facilities i.e. Facility for the level as indicated in Table 3.3. of Chapter-3 based on the population accommodated under the project/ scheme). <i>The maximum FAR of 300 on the remunerative component of the land shall be applicable irrespective of the land use.</i> <i>Any use/ mix of uses shall be permitted as proposed by the developer entity within the overall FAR of 300, in the remunerative component as per MPD provisions.</i> <i>In case the developer entity proposes mix of uses, the parking and other development control norms will be applicable on pro-rata basis, on the FAR utilized for the particular use.</i>

2. The text of MPD-2021 indicating the proposed modifications shall be available for inspection at the Office of the Dy. Director, Master Plan Section, 6th Floor, Vikas Minar, IP Estate, New Delhi-110002, on all working days within the period referred above. The text indicating the proposed modifications is also available on the following link i.e. <https://dda.org.in/ddaweb/MPD2021.aspx>.

[F.No. F.3(36)1996/MP/Pt-I]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.